

15/10
24

अतः पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं अभिभाषक
वादीगण अनुपस्थित। तीन बार रूक-रूक
कर आवाज लगायी गयी, लेकिन कोई भी
उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में
गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना, अदम
हाजरी, अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश
9 नियम 8 CPC खारिज किया जाता है।
पत्रावली कैंसल शुमार होकर नम्बर से कम
होकर बाद नामील तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

उपजुड अधिकारी
पिडावा, जिला मालावाड (राजग)

